सरकार बनाम भबूता रेफरेन्स प्रकरण संख्या 19/05

12.09.2018 सरकारी वकील उपस्थित।इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.12.2006 के द्वारा प्रकरण राजस्व मंडल अजमेर को रेफरेन्स किया गया था। राजस्व मंडल द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या रेफरेन्स/एलआर/676/2007/जालोर अनवान सरकार बनाम भबूता पुत्र दीपा कौम चौधरी साकिन दांतलावास वगैराह में पारित निर्णय 31.10.2013 के द्वारा निर्देश दिए कि वांछित अभिलेख की प्रति संलग्न कर उस पर अपना स्पष्ट अभिमत व्यक्त करते हुये आगामी रेफरेन्स संबंधी कार्यवाही सपदित करे।

प्रकरण में धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अवलोकन किया गया। धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अनुसार रेफरेन्स प्रकरण का परीक्षण हेतु मूल पत्रावली राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में पुनः परीक्षण करे और बाद परीक्षण पुनः रेफरेन्स मंडल को अभिशंषित करने की कार्यवाही करे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सही—
जिला कलेक्टर
जालोर